

झारखण्ड सरकार

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

वंदना दादेल,  
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,  
लातेहार।

राँची, दिनांक- / / 2026 ई०।

विषय :- झारखण्ड राज्य में आत्मसमर्पित वामपंथी उग्रवादियों को प्रोत्साहन राशि/आर्थिक सहायता के भुगतान हेतु रू० 22,86,345/- (बाईस लाख छियासी हजार तीन सौ पैतालीस रुपये) मात्र का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-1150, दिनांक 25.08.2025, पत्रांक-1413, दिनांक 25.10.2025, पत्रांक-1497, दिनांक 18.11.2025 एवं पत्रांक-1579, दिनांक 08.12.2025 से प्राप्त प्रस्ताव एवं गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं०-3801, दिनांक-10.07.2018 में निहित प्रावधानों के आलोक में झारखण्ड राज्य में आत्मसमर्पित वामपंथी उग्रवादियों को प्रोत्साहन राशि/आर्थिक सहायता के भुगतान हेतु रू० 22,86,345/- (बाईस लाख छियासी हजार तीन सौ पैतालीस रुपये) मात्र की राशि निम्नानुसार इस शर्त के साथ आवंटित की जाती है कि लाभुक को राशि का भुगतान सक्षम स्तर से निर्गत स्वीकृत्यादेश के आलोक में किया जाएगा :-

क्र०	आत्मसमर्पित उग्रवादियों का नाम एवं पता	आवंटित राशि					कुल राशि
		पुनर्वास अनुदान की राशि	घोषित इनाम की राशि	आग्नेयास्त्र के बदले नगद राशि	मकान किराया की राशि	शिक्षण शुल्क	
1	श्री बैजनाथ सिंह, पिता-अंतु सिंह उर्फ अनंत सिंह, सा०-सैलदाग, थाना-मनिका, जिला-लातेहार	1,00,000/-	-	-	-	-	1,00,000/-
2	श्री लवलेश गंडू उर्फ लवकेश गंडू, पिता-स्व० प्रधान गंडू, ग्राम-कुरियाम खुर्द, थाना-बालूमाथ, जिला-लातेहार	1,00,000/-	5,00,000/-	-	-	-	6,00,000/-
3	अखिलेश यादव, पिता-संतु यादव उर्फ गुली यादव, सा०-होटाईया, सेहर, थाना-पांकी, जिला-पलामू	-	5,00,000/-	75,000/-	-	-	5,75,000/-
4	श्री रघुनाथ सिंह उर्फ रघु जी, पिता-लखन सिंह, सा०-लेघपा बंदी, थाना-जिला-लातेहार	1,00,000/-	-	-	28,500/-	-	1,28,500/-
5	श्री दशरथ उरांव उर्फ रौशन जी उर्फ दशरा उरांव, पिता-धनु उरांव, सा०-सुइयाटाड, थाना- टंडवा, जिला-चतरा	1,00,000/-	-	-	-	-	1,00,000/-
6	श्री सतेन्द्र उरांव उर्फ अभिमन्यु उर्फ मामा, पिता-रामपाल उरांव, सा०-इरगु, पो०-चापीकला, थाना-पांकी, जिला-पलामू	1,00,000/-	-	-	-	-	1,00,000/-
7	संजय कुमार प्रजापति, पिता-श्री कैलाश प्रजापति, ग्राम-नावाडीह, थाना-छिपादोहर, जिला-लातेहार	1,00,000/-	-	-	-	21,945/-	1,21,945/-
8	श्री अनिल उरांव उर्फ बादल जी, पिता-स्व० सखी उरांव उर्फ सुरेन्द्र उरांव उर्फ सुधीर उरांव, ग्राम-सरक, थाना-चंदवा, जिला-लातेहार	1,00,000/-	-	-	28,500/-	-	1,28,500/-

9	श्री मोहन परहिया उर्फ आलोक जी उर्फ आलोक परहिया, पिता-स्व० रामचरण परहिया, सा०-नवाडीह, चकलवा टोला, थाना-छिपादोहर, जिला-लातेहार	1,00,000/-	-	-	-	-	1,00,000/-
10	श्री ब्रह्देव गंडू उर्फ भगज जी, पे०-स्व० सुकन गंडू, स्थायी पता-सा०-बड़की नागद, पो०-दलदलिया, थाना-मनातू, जिला-पलामू वर्तमान पता-सा०-केरी, थाना-बालूमाथ, जिला- लातेहार	1,00,000/-	-	-	-	32,400/-	1,32,400/-
11	श्री कल्टु उर्फ मोजिंदर उर्फ लालदीप गंडू उर्फ कार्तिक गंडू, पिता-भोला गंडू, सा०-जवाबार, टोला-लेवडाही, पो०-बालूमाथ, थाना-बारियातू, जिला-लातेहार	2,00,000/-	-	-	-	-	2,00,000/-
कुल :-		11,00,000/-	10,00,000/-	75,000/-	57,000/-	54,345/-	22,86,345/-

(बाईस लाख छियासी हजार तीन सौ पैंतालीस रुपये) मात्र

2. उपरोक्त राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के स्थापना व्यय बजट शीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-800-अन्य व्यय-10-उग्रवादियों द्वारा प्रत्यर्पण हेतु प्रोत्साहन राशि-06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता, विपत्र कोड-22S20700080010000649 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपायुक्त, लातेहार अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे।

4. उक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, लातेहार से की जाएगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी खर्च का अभिश्रव संघारित करेंगे और व्यय का सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराकर प्रतिवेदन गृह विभाग के बजट शाखा को उपलब्ध करायेंगे।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटित राशि का विचलन अन्य कार्यों के लिए नहीं करेंगे तथा खर्च न होने वाली (बचत की) राशि को इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व प्रत्यर्पित करने की कार्यवाई करेंगे।

7. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि० (2), दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8. राशि की निकासी में झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 74 का अनुपालन सख्ती से किया जाएगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(वंदना दादेल)


सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक- 4/विविध (प्रोत्साहन राशि आवंटन)-538/2024 ...../ राँची, दिनांक- / /2026 ई०।  
प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक- 4/विविध (प्रोत्साहन राशि आवंटन)-538/2024 .....128/ राँची, दिनांक- 05/01/2026 ई०।  
प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/अवर सचिव-18, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।



5.1.26

सरकार के अपर मुख्य सचिव।



## आवंटन आदेश

### झारखंड सरकार


Home, Jail and Disaster Management Department (Home Division)

चाहू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 4V(PRA)-538/24/128

दिनांक - 05-Jan-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 22 20700080010000649 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं 00 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं 800 - अन्य व्यय 10 - उग्रवादियों द्वारा प्रत्यर्पण हेतु प्रोत्साहन राशि 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	84190	LTRDAD045 AJAY KACHHAP EXCUTIVE MAGISTRATE, LATEHAR 49 - आर्थिक सहायता	2,286,345.00 रुपये बाइस लाख छियासी हजार तीन सौ पैतालीस



2,286,345.00

योग:

रुपये बाइस लाख छियासी हजार तीन सौ पैतालीस

क्रमिक योग:

5.1.26  
(VANDANA DADEL)

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY